

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़

कार्यालय आदेश

संख्या: प्रशा.-1/08

दिनांक: - 20.04.2026

स्थानांतरण एवं तैनाती नीति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों (मुख्यालय परिपत्र संख्या 1-स्टाफ विंग/2024 संख्या 10-स्टाफ (नियुक्ति-II)/63-2013 दिनांक 06.01.2014) के आधार पर, समूह 'क' एवं समूह 'ख' (राजपत्रित) तथा समूह 'ख' व 'ग' (अराजपत्रित) के लिए स्थानांतरण एवं तैनाती बोर्ड का पुनर्गठन इस प्रकार किया गया है:-

I समूह-'ख' (अराजपत्रित) एवं समूह-'ग' की कार्यालय के भीतर तैनाती एवं स्थानांतरण

- | | | |
|----|---------------------------------|-------|
| 1. | वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा. -I) | पदेन |
| 2. | वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पेंशन-1) | सदस्य |
| 3. | वरिष्ठ लेखा अधिकारी टीएम (सी) | सदस्य |

उपर्युक्त में से वरिष्ठ अधिकारी, अध्यक्ष होंगे।

प्रशासन के प्रभारी समूह अधिकारी -स्वीकृतिप्राधिकारीहोंगे।

II समूह-'क' व 'ख' (राजपत्रित)

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
 2. उप महालेखाकार (लेखा एवं वीएलसी)
 3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा. -1)
- उपर्युक्त में से वरिष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होंगे।
 - **प्रधान महालेखाकार -स्वीकृतिप्राधिकारीहोंगे।**

हस्ता/-

वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रशा.-1/तै. एवंस्था./2026-27/60

दिनांक: - 20.04.2026

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, आंतरिक कार्यालय संदर्भ के माध्यम से निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है:-

1. सचिव/निजी सचिव/सलाहकार, प्रधान महालेखाकार
2. सभी समूह अधिकारियोंकेनिजी सहायक
3. सभी शाखा अधिकारी
4. सभी अनुभाग प्रभारी
5. सभी संबंधित अधिकारी
6. सूचना पट्ट

हस्ता/-

वरि. लेखा अधिकारी (प्रशा.-1)